न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा

मुकदमा संख्या ... 2019 | तारीख दायरा 18.07.2019 | तारीख फैसला .../.../2021

पीठासीन अधिकारी राजेश डागा (R.A.S.)

उनवान

श्रीलाल उर्फ श्रीकृष्ण आत्मज केशव जाति गुर्जर निवासी हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित श्री ...लाल एडवोकेट वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88 89 आर0टी0एक्ट ... खा0नं0 112... रकबा 1.28 हे0 भूमि एव ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा ... खा0नं0 364 रकबा 1.06 हे0 भूमि तथा खा0नं0 124 रकबा 0.49 हे0, खा0नं0 169 रकबा ... हे0, खा0नं0 176 रकबा 0.22 हे0, खा0नं0 540/178 रकबा 0.20 हे0, खा0नं0 54.../258 रकबा 0.02 हे0, खा0नं0 550/265 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 6 रकबा 1.23 हे0 भूमि ... की संयुक्त खातेदारी में स्थित चली आ रही है। वादी, उसके भाईयों व अन्य सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी में स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम श्रीकृष्ण अंकित है, जो कि गलत है। वादी का वास्तविक नाम श्रीलाल है। वादी के पहचान के दस्तावेजों में भी वादी का नाम श्रीलाल अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम श्रीलाल के स्थान पर श्रीकृष्ण दर्ज होने के कारण वादी को खाद बीज व ऋण आदि लेनें मे परेशानी ... है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम श्रीकृष्ण के स्थान पर श्रीलाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। वाद कारण वाद कारण प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने ... का नाम गलत दर्ज करनें पर तथा दिनांक 29.05.2019 को प्रतिवादी के कर्मचारियों के द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दुरूस्त नही करने पर व दुरूस्त करने से इन्कार करनें पर पैदा हुआ।

वाद पेश कर वादी ने निवेदन किया है कि वादी के पक्ष मे प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित खा0नं0 1127 रकबा 1.28 हे0 भूमि एव ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित खा0नं0 364 रकबा 1.06 हे0 भूमि तथा खा0नं0 124 रकबा 0.49 हे0, खा0नं0 169 रकबा 0.23 हे0, खा0नं0 176 रकबा 0.22 हे0, खा0नं0 540/178 रकबा 0.20 हे0, खा0नं0 544/258 रकबा 0.02 हे0, खा0नं0 550/265 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 6 रकबा 1.23 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड म वादी का नाम श्रीकृष्ण के स्थान पर श्रीलाल अथवा श्रीलाल उर्फ श्रीकृष्ण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट

न्यायालय को भिजवावे। वाद व्यय व अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

(5)

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम टाकरवाडा सं0 2071–74 खाता नं0 895
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव सं0 2073–76 खाता नं0 55
3. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव सं0 2073–76 खाता नं0 114
4. तस्दीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत टाकरवाडा
5. छायाप्रति आधारकार्ड श्रीलाल पुत्र केसरीलाल
6. छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र श्रीलाल पुत्र केसरीलाल
7. शपथ पत्र सोहनलाल पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु सम्मन् जारी किये गये। प्रकरण में पटवारी हल्का टाकरवाडा की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी श्रीकृष्ण का वास्तविक नाम श्रीलाल है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होनें का उल्लेख किया है।

हमनें उभय पक्ष को अपने–अपने साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा वाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। वाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादी द्वारा वांछित अनुतोष के कम में वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी सं0 2071–74 खाता नं0 895 वाके ग्राम टाकरवाडा, जमाबंदी सं0 2073–76 खाता नं0 55 व 114 वाके ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी आराजी है जिसमें वादी का नाम श्रीकृष्ण पुत्र केसरा जाति गूजर दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात् में वादी का नाम श्रीलाल पुत्र केसरीलाल अंकित है। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार श्रीकृष्ण व श्रीलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होनें के कथन किये है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से भी वादी का नाम श्रीलाल पुत्र केसरीलाल होनें की पुष्टि होती है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात्, पटवारी रिपोर्ट एवं विवादित आराजी के सहखातेदार की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के अवलोकन से वादी का वास्तविक नाम श्रीलाल पुत्र केसरीलाल होना प्रकट होता है, जिससे वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भी उसी अनुरूप दर्ज किया जाना उचित पाते है।

लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 1127 रकबा 1.28 हे0 भूमि एवं ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 364 रकबा 1.06 हे0 भूमि तथा ख0नं0 124 रकबा 0.49 हे0, ख0नं0 169 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 176 रकबा 0.22 हे0, ख0नं0 540/178 रकबा 0.20 हे0, ख0नं0 544/258 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 550/265 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 6 रकबा 1.23 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम श्रीकृष्ण पुत्र केसरा के स्थान पर श्रीलाल उर्फ श्रीकृष्ण पुत्र केसरा दर्ज किया जावें, शेष यथावत् रहेगा। तदनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 25/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद

अंतिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

(6)

उनवान

श्रीलाल उर्फ श्रीकृष्ण आत्मज केसरा जाति गूर्जर निवासी हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

भिसल नम्बर–66/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ राजेश डागा आर.ए.एस बहाजिरी श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 1127 रकबा 1.28 हे0 भूमि एवं ग्राम हरिपुरा उर्फ नयागांव तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 3.4 रकबा 1.06 हे0 भूमि तथा ख0नं0 124 रकबा 0.49 हे0, ख0नं0 169 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 176 रकबा 0.22 हे0, ख0नं0 540/178 रकबा 0.20 हे0, ख0नं0 544/258 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 550/265 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 6 रकबा 1.23 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम श्रीकृष्ण पुत्र केसरा के स्थान पर श्रीलाल उर्फ श्रीकृष्ण पुत्र केसरा दर्ज किया जावे, शेष यथावत् रहेगा।" तदनुसार डिक्री जारी हो। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 25/02/2021 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(राजेश डागा)
सहायक कलक्टर
दीगोद